भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2224

12 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पश्चिम बंगाल में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत हुई प्रगति

†2224. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अब तक विशेषकर पश्चिम बंगाल में कितनी शहरी आवास इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितनी अधूरी रह गई हैं;
(ख) प्रमुख शहरों में मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं और अवसंरचना सेवाओं के साथ उनके एकीकरण का ब्यौरा और स्थिति क्या है;
(ग) टियर-।। शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इन आवासीय इकाइयों को प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों को एक साथ जोड़ा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में स्लमवासियों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता का आकलन करते हैं। पात्र नागरिक भी अपने सभी विवरणों के साथ पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं और लाभार्थी सूचियों का चयन/जांच राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कई स्तरों पर की जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इस योजना के दिशा-निर्देशों को एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है। मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन के आधार पर परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं ताकि केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी करने पर आगे विचार किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर में टीयर-II शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 114.84 लाख आवासों की नींव रखी जा चुकी है; जिनमें से दिनांक 22.01.2026 तक 97.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों में से लगभग 29 लाख आवास स्लमवासियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए आवासों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। इस योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'किफायती आवास नीति' तैयार करने और निजी निवेश को आकर्षित करने और देश में किफायती आवास स्टॉक बढ़ाने के लिए एक सक्षम इको-सिस्टम बनाने हेतु प्रमुख सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), अमृत 2.0, पीएम स्वनिधि, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना आदि और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं के प्रावधान के लिए अन्य प्रासंगिक योजनाओं सहित विभिन्न अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं और मिशनों के साथ इस योजना का तालमेल सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया

जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रासंगिक राज्य योजनाओं के साथ तालमेल की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

दिनांक 12-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2224 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत पश्चिम बंगाल सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्णाणाधीन	निर्माण पूरा किया गया
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,48,070	18,34,207	11,23,682
2		बिहार	4,45,103	3,72,294	1,98,481
3		छत्तीसगढ़	3,05,910	2,91,215	2,62,437
4		गोवा	3,174	3,174	3,174
5		गुजरात	10,29,497	10,02,277	9,66,065
6		हरियाणा	1,32,846	86,725	73,134
7		हिमाचल प्रदेश	14,026	12,940	11,914
8		झारखंड	2,43,358	2,10,742	1,65,760
9		कर्नाटक	5,77,669	4,98,457	3,99,076
10		केरल	1,62,134	1,55,608	1,39,646
11		मध्य प्रदेश	10,02,259	9,51,660	8,96,760
12		महाराष्ट्र	12,78,999	11,75,695	10,43,061
13		ओडिशा	2,23,972	1,92,718	1,69,067
14		पंजाब	1,50,610	1,24,216	1,02,370
15		राजस्थान	3,48,053	3,11,612	2,64,828
16		तमिलनाडु	6,79,186	6,68,510	6,20,093
17		तेलंगाना	3,62,294	2,49,402	2,25,397
18		उत्तर प्रदेश	21,02,327	17,63,737	17,17,547
19		उत्तराखंड	66,577	63,525	51,565
20		पश्चिम बंगाल	6,18,380	6,09,513	5,09,483
उप-योग (राज्य)			**1,16,94,444**	**1,05,78,227**	**89,43,540**

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्णाणाधीन	निर्माण पूरा किया गया
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,346	11,924	8,471
22		असम	1,87,028	1,73,323	1,44,107
23		मणिपुर	56,047	50,201	22,466
24		मेघालय	7,072	4,125	2,841
25		मिजोरम	39,616	39,123	33,946
26		नागालैंड	31,067	31,060	30,147
27		सिक्किम	299	299	219
28		त्रिपुरा	90,315	88,468	81,921
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**4,24,790**	**3,98,523**	**3,24,118**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	377	377	234
30		चंडीगढ़	1,278	1,278	1,278
31		दमन और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	10,367	10,367	9,933
32		दिल्ली	32,075	32,075	32,075
33		जम्मू और कश्मीर	45,112	42,760	35,167
34		लद्दाख	1,434	1,030	968
35		पुडुचेरी	18,253	18,047	12,543
उप-योग (यूटी)			**1,08,896**	**1,05,934**	**92,198**
कुल योग			**122.28 लाख**	**114.84 लाख***	**97.02 लाख***

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं।
